रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-656/2025/1977/22-2-2023-17(564)/2021

लखनऊ:दिनांक: 27 जून, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार उर्फ कल्लू (बन्दी सं0-257/2014) पुत्र श्री कामता लाल, जो ग्राम-परजनपुर, थाना-जंसा, वर्तमान लोहता, जनपद-वाराणसी का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-310/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 148 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, वाराणसी के आदेश दिनांक 19.10.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2023 तक 12 वर्ष, 05 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 10 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण, तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो, तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-656/2025/1977(1)/22-2-2023-17(564)/2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

3- पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh